THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) to (c). The Department of Supply had made a number of reversions of Assistants in 1950-51. In one of the cases they specifically certified that had the assistant been declared quasi-permanent at the relevant time, he would not have reverted from the post of Assistant in 1951. On the basis of that certificate the reversion orders in his case were set aside and consequential benefits allowed to the individual concerned. In 21 other cases, it was not feasible for that Department to review the vacancy position as existed then at such distant date and categorically state in each case that the reversion was not in accordance with the "Instructions for Retrenchment." Hence, the benefit given in one case could not be extended to other cases.

पटौदी के नवाब के विवाह के उपलक्ष में स्वागत समारोह में पुलिस का प्रबन्ध

3083. **श्री भारत सिंह चौहान :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 4 जनवरी, 1969 को पटौदी के नवाब के विवाह के उपलक्ष में स्वागत समारोह के अवसर पर प्रबन्ध करने के लिये दिल्ली पुलिस के लगभग 500 अतिरिक्त सिपाहियों की सेवाएं उपलब्ध की गयी थीं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). 4 जनवरी 1969 को डूप्लैक्स रोड, नई दिल्ली पर पटौदी के नवाब के विवाह के उपलक्ष में स्वागत समारोह में अन्य व्यक्तियों में राष्ट्रपति कुछ केबिनेट मन्त्री, राजदूत तथा विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित थे। उस समय अतिविशिष्ट व्यक्तियों के लिये सामान्य सुरक्षा प्रबन्ध तथा अन्य आवश्यक प्रबन्ध पुलिस द्वारा किये गये थे। इस उद्देश्य के लिये वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण में दिल्ली पुलिस के 48 कर्मचारियों का एक दल तैनात किया गया था।

मन्त्रियों तथा संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के विदेशों के दौरे

3084. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या गृह-कार्य मंत्री 15 नवम्बर, 1968 के मंत्रियों तथा संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के विदेशों के दौरों सम्बन्धी अतारांकित प्रश्न संख्या 766 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जानकारी एकत्र कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) सूचना विवरण में दी गई है जो सभा पटल पर रखा गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या LL—345/69**]

भारत-पाकिस्तान विमान सेवा

3085. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान को दोनों देशों के बीच असैनिक विमानों की उड़ानों के बारे में एक प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). जुलाई, 1968 में भारत सरकार ने राजनयिक प्रणाली के माध्यम से दोनों देशों के बीच नागर विमान सेवाओं के पुन: चालू करने के लिये बातचीत प्रारम्भ करने का अपना प्रस्ताव दुहराया। पाकिस्तान सरकार से अभी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।